

भा.कृ.अनु.प.-केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान,
एडनवाला रोड, माटुंगा, मुंबई 400 019.

यात्रा भत्ता बिल के लिए प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि,

1. मैंने यात्रा भत्ता में किए गए दावे के अनुसार बताई गयी श्रेणी से सही तौर पर हवाई जहाज / ~~रेल/एक्सप्रेस~~ रेल द्वारा यात्रा की ।
2. मैंने जिस अवधि के दैनिक भत्ते के लिए दावा किया है, उस रविवार और अन्य छुट्टियों के दौरान में रचनात्मक नहीं था वास्तव में उसी जगह पर था / थी ।
3. जिन दैनिक भत्तों के लिए मैंने बिल में दावा किया है, उनमें किसी भी दिन में आकस्मिक अवकाश पर नहीं था / थी ।
4. सड़क की दूरी जिसके लिए सड़क मील भत्ते का दावा किया है, मेरी जानकारी तथा विश्वास से सही है ।
5. विराम के स्थान जिनके लिए दैनिक भत्ते का दावा किया है, विराम की जगह काम के निष्पादनानुसार थी ।
6. जो यात्रा की गई थी वह जनहित में थी और जिस सड़क मील का दावा किया गया था उस यात्रा के लिए किसी भी सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं किया गया ।
7. मेरेविराम के दौरान, मुझे राज्य अतिथि माना गया / नहीं माना गया और मेरे भोजन और रहने की / केवल रहने की सुविधा के लिए राज्य / भारत सरकार या अन्य संगठन द्वारा खर्च नहीं किया गया ।
8. इस यात्रा के लिए वापसी टिकटें (रेल से) उपलब्ध नहीं थी ।
9. वापसी टिकटें (रेल से) उपलब्ध थी, परन्तु खरीदी नहीं गई थी क्योंकि जिस अवधि के लिए टिकटें उपलब्ध थी, उसके भीतर वापसी यात्रा करने की संभावना नहीं थी ।
10. पूरक नियमावली के नियम 46 में निर्धारित उच्च दर जिसके लिए मील भत्ते का दावा किया है किसी लोक वाहन से एक आदमी लेकन (स्टीमर को छोड़कर) के लिए सड़क यात्रा नहीं की, जो नियमित रूप से निश्चित एक जगह से दूसरी जगह निश्चित दर का प्रभार वसूल करते हैं । मैं यह भी प्रमाणित करता / करती हूँ कि मैंने किसी अन्य वाहन से बिना भाड़े का प्रभार या उसके कुल खर्च को मिलाकर यात्रा नहीं की है ।
11. मैंने विनिमय आदेश द्वारा इंडियन एयर लाईन्स कारपोरेशन एअर इंडिया इंटरनेशनल से अपनी इवाई यात्रा को बुक कराने की क्रेडिट सुविधा का लाभ उठाया / नहीं उठाया ।

मैं दिनांक से तक (जगह का नाम) में रहा / रही जिन्होंने निर्धारित दर से रहने / भोजन की व्यवस्था दी ।

हस्ताक्षर: _____

प्रमाणपत्र में जो लागू नहीं होता उसे काट दें ।